कार्यालय वन वृत्त शहडोल-484001 (मध्यप्रदेश)

P H O N E - 245361 F A X - 240189 E_MAIL- ccf.sdl@mp.gov.in

क्रमांक/माचि /2018/1834 शहडोल, दिनांक 11.3.18

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश – भोपाल.

विषय – शहडोल जिले के विकास खंड जयसिंहनगर के अंतर्गत बिछली नाला जलाशय योजना के अंतर्गत [illegible] हेतु 8.60 हे0 वनभूमि का उपयोग हेतु।

संदर्भ – वनमंडलाधिकारी, उत्तर शहडोल वनमंडल का पत्र क्र/माचि/2018/409 दिनांक 09.03.2018.

–☆☆☆–

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शहडोल द्वारा वन संरक्षण अधिनियम के तहत विकास खंड जयसिंहनगर के अंतर्गत बिछली नाला जलाशय योजना के अंतर्गत [illegible] का प्रस्ताव, आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है। विवरण निम्नानुसार है :–

1. प्रस्तावित जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण परिक्षेत्र अमझोर के अंतर्गत कक्ष क्रमांक पी–516 के आंशिक क्षेत्र 8.60 हे0 वनभूमि प्रस्तावित की गई है।
2. आवेदित क्षेत्र को 1:15000 के मानचित्र में दर्शाया गया है, संलग्न है।
3. आवेदित क्षेत्र को 1:50000 के मानचित्र में दर्शाया गया है, संलग्न है।
4. परियोजना के संबंध में संक्षिप्त टीप संलग्न किया गया है।
5. आवेदक संस्थान द्वारा अधिकारों के विनिश्चय की कार्यवाही का पूर्ण होने संबंधी कलेक्टर, जिला शहडोल का प्रमाण पत्र संलग्न किया है।
6. आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रजेंट वैल्यू की राशि भुगतान करने का वचन–पत्र दिया है।
7. आवेदक द्वारा ऐतिहासिक पुरातत्व धरोहर न होने का प्रमाण–पत्र दिया है, संलग्न है।

वनमंडलाधिकारी द्वारा आवेदित क्षेत्र के संबंध में दी गई जानकारी संबंधी संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

1. आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित वनभूमि में कोई अवैध कार्य नहीं किया गया है।
2. आवेदित वनक्षेत्र में ऐतिहासिक/धार्मिक महत्व का क्षेत्र नहीं है।
3. आवेदित क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र का भाग नहीं है और न ही इसके 10 कि0मी0 में कोई संरक्षित क्षेत्र स्थित है।
4. वनमंडलाधिकारी, उत्तर शहडोल द्वारा आवेदित वनभूमि न्यूनतम वनक्षेत्र होने का प्रमाण–पत्र दिया है, संलग्न है।
5. आवेदित क्षेत्र सुधार कार्यवृत्त वनक्षेत्र है। वर्तमान में साइट की गुणवत्ता श्रेणी IVA, IVB है।

6. आवेदित वनभूमि में गणना के अनुसार 50 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के व गोलाई के खड़े पाये गये। विदोहन करने पर 3.957 घ0मी0 इमारती एवं 5 नग चट्टा जलाऊ वनोपज प्राप्त होने का अनुमान है।

7. वनमंडलाधिकारी, उत्तर शहडोल द्वारा स्थल निरीक्षण दिनांक 22.01.2018 को किया गया, प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

8. वनमंडलाधिकारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में बंदर, खरगोश, सियार, सुअर एवं भालू प्रस्तावित क्षेत्र में पाये जाने का उल्लेख है। यदाकदा चिंकारा भी दिखाई देते हैं।

9. प्रस्तावित क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

वनमंडलाधिकारी, उत्तर शहडोल वनमंडल ने 8.60 हे0 वनभूमि व्यपवर्तन हेतु अनुशंसा की है। प्रस्ताव आगामी कार्यवाही हेतु 03 प्रतियों में अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

संलग्नः– प्रस्ताव 03 प्रति में।

(ए0के0 जोशी)
मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त शहडोल (म0प्र0)

पृ0क्रमांक/माचि/2018/1835 शहडोल, दिनांक 11/3/18

प्रतिलिपिः–

1. वनमंडलाधिकारी, उत्तर शहडोल वनमंडल को संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

2. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शहडोल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त शहडोल (म0प्र0)

भाग–III

संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है

14	स्थल जहाँ की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं।
15	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत हैं यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	वनमंडलाधिकारी, उत्तर शहडोल वनमंडल ने 8.60 हे0 वनक्षेत्र [illegible] कार्य हेतु व्यपवर्तन किये जाने की अनुशंसा की है। इस कार्यालय द्वारा भी अनुशंसा की जाती है।

तिथि :

स्थान : शहडोल

(ए0के0 जोशी)
मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त शहडोल (म0प्र0)